तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>अपील/एल0आर0/8782/2006/सिरोही</u> **डूंगरसिंह बनाम चम्पतलाल** **<u>अपील/एल0आर0/3496/2007/सिरोही</u>** **नगर पालिका बनाम डूंगरसिंह**	

<u>एकल–पीठ</u>
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः– (अपील सं0 2006/8782)

(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री ओ0एल0 दवे, अभिभाषक रेस्पो0 सं 1 की ओर से
(3) श्री अजीत सिंह भादू, उप राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2

उपस्थितः– (अपील सं0 2007/3496)

(1) श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पो0 सं 1 की ओर से
(3) श्री अजीत सिंह भादू, उप राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 व 3

निर्णय दिनांकः 10.01.2023

यह दो अपीलें अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील सं0 30/2004 बउनवानी डूंगरसिंह बनाम चम्पतलाल एवं अपील सं0 33/2004 बउनवानी नगरपालिका बनाम डूंगरसिंह में पारित निर्णय दिनांक 04–11–2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– चूंकि दोनों अपीलों में विचाराणीय बिन्दु एक समान होने के कारण एवं दोनों प्रकरणों में योग्य अधिवक्तागण द्वारा एक ही बहस किये जाने के कारण इस न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों में एक साथ निर्णय पारित किया जा रहा है। अतः निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावें।

3– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर मौजा पिण्डवाडा की सीमा में खसरा सं0 660 स्थित है जिसका रकबा 81–10 बीघा है जो राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन मगरी अलावा जोत काबिल काश्त अंकित है। उक्त भूमि जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक 1629–32 दिनांक 24–06–1995 द्वारा ग्राम पिण्डवाडा के गोचर हेतु सुरक्षित घोषित की गई है। उक्त भूमि में विद्वान उपखण्ड अधिकारी, आबू पर्वत के आदेश क्रमांक 390–91 दिनांक 04–04–1995 द्वारा 3 बिस्वा भूमि सिचांई प्रयोजनार्थ कुंआ खोदने एवं पम्पिंग सेट स्थापित करने हेतु आवंटन की गई तथा जिस पर कुंआ खोदा गया। इसी खसरा नं0 में 4 बीघा भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा काश्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/8782/2006/सिरोही** **डूंगरसिंह बनाम चम्पतलाल** **अपील/एल0आर0/3496/2007/सिरोही** **नगर पालिका बनाम डूंगरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	था। उक्त गोचर घोषित की गई भूमि में से 4 बीघा अतिक्रमित भूमि कम करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, पिण्डवाडा व नगरपालिका पिण्डवाडा की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि गोचर घोषित हो चुकी है। जिस पर प्रार्थी का केवल अतिक्रमण है। जिस पर प्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं मिलते है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। विद्वान जिला कलेक्टर ने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 09–03–2004 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इसी निर्णय दिनांक 09–03–2004 से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने उपस्थित योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 04–11–2006 से अपीलांट की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा। जिस निर्णय दिनांक 04–11–2006 से व्यथित होकर एक अपील सं0 2006/8782 अपीलांट डूंगरसिंह ने एवं दूसरी अपील सं0 2007/3496 नगरपालिका अपीलांट की ओर से इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 4– योग्य अधिवक्तागण की दोनों अपीलों पर बहस सुनी गयी। 5– योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील सं0 2006/8782 के मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड होकर काबिल निरस्त योग्य हैं। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने रेस्पो0 सं0 1 को आराजी खसरा नं0 660 मिल को गै0मु0 मगरा भूमि बताते हुए 3 बिस्वा भूमि का आवंटन करने में कानूनी भूल की है। आराजी खसरा नं0 660 रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा भूमि को विद्वान जिला कलेक्टर, सिरोही ने अपने आदेश दिनांक 24–06–1995 द्वारा गोचर हेतु आरक्षित की थी तथा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर जिला कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 09–03–2004 द्वारा अपीलांट को आवंटित 3 बिस्वा भूमि एवं गोचर सुरक्षित में से 4 बीघा भूमि को रिकॉर्ड से कम करने के आदेश पारित किये थे। इस प्रकार रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में किया गया आवंटन केवल आराजी खसरा नं0 660 राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/8782/2006/सिरोही** **डूंगरसिंह बनाम चम्पतलाल** **अपील/एल0आर0/3496/2007/सिरोही** **नगर पालिका बनाम डूंगरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिकॉर्ड में गै0मु0 मगरा नहीं थी बल्कि चारागाह दर्ज थी। आवंटन नियम 1979 के नियम 4(1) के तहत इस प्रकार की भूमि को आवंटन नहीं किया जा सकता है। रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में किया गया। आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है। आराजी खसरा नं0 660 रकबा 81 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त वर्षों से चला आ रहा है। अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर जिला कलेक्टर ने आराजी खसरा नं0 660 रकबा 81 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त मानते हुए अपने आदेश द्वारा 4 बीघा भूमि गोचर सुरक्षित से कम करने के आदेश पारित किये। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने भूमि आवंटन के पूर्व किसी भी प्रकार की उद्घोषणा जारी नहीं की थी जबकि आवंटन नियम 1979 के नियम 9 के तहत यह मैण्डेटरी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त विद्वान परीक्षण न्यायालय ने आवंटन नियम 1979 के नियम 5 की पालना भी नहीं की। रेस्पो0 सं0 1 ने आराजी खसरा नं0 660 से लगते हुए उसकी खातेदारी भूमि का हक तर्कनामा श्री जेठालाल पुत्र श्री धन्नालाल कलाल के हक में दिनांक 14–11–2005 को कर दिया। तत्पश्चात् श्री जेठालाल पुत्र श्री धन्नालाल मेवाडा जो कि उसकी खातेदारी की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 14–11–2005 द्वारा श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री श्याम मेवाड़ा को दे दी। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अप्रार्थी सं0 1 को विवादित आराजी का आवंटन करने से पूर्व किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। आवंटन नियम 1979 के नियम 10 (3) की पालना नहीं किये जाने के कारण विद्वान अपीलीय न्यायालय को इसी आधार पर रेस्पो0 सं0 1 का आवंटन निरस्त कर देना चाहिए था। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उक्त 4 बीघा भूमि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर चारागाह में से कम की गई थी। इसके अतिरिक्त विद्वान अपीलीय न्यायालय का यह मानना कि अतिक्रमण की गई भूमि पर से अतिक्रमण हटाकर आवंटन रेस्पो0 को किया जा सकता है परन्तु उपरोक्त प्रकरण आराजी खसरा नं0 660 में से 4 बीघा भूमि पर से अपीलांट को कभी भी बेदखल नहीं किया तथा उक्त 4 बीघा भूमि बाबत् अपीलांट के प्रकरण पूर्व से विचाराधीन है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 04–11–2006 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड़ के निर्णय दिनांक 26–05–2004 निरस्त किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/8782/2006/सिरोही** **डूंगरसिंह बनाम चम्पतलाल** **अपील/एल0आर0/3496/2007/सिरोही** **नगर पालिका बनाम डूंगरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाकर रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें। 6– दूसरी अपील सं0 2007/3496 में योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय न्याय, नियम, रिकार्ड एवं विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विद्वान जिला कलेक्टर, सिरोही ने खसरा नं0 606 की गोचर भूमि में से 4 बीघा भूमि कम करने के आदेश प्रदान किये हैं और किसी भी व्यक्ति को अथवा किसी भी संस्था को उपरोक्त 4 बीघा भूमि देने के निर्देश नहीं दिये हैं। विद्वान जिला कलेक्टर ने वादग्रस्त भूमि दिनांक 24–06–1995 को गोचर हेतु भूमि सुरक्षित कर दी थी एवं बाद में ग्राम पंचायत पिण्डवाड़ा नगरपालिका मण्डल पिण्डवाड़ा में बदल गयी। इसलिए समस्त भूमि नगर पालिका सीमा में आने से धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को आवंटन अथवा नियमन नहीं की जा सकती है। विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ शपथपत्र भी था जिसका काउण्टर शपथपत्र रेस्पो0 सं0 1 ने प्रस्तुत नहीं किया फिर भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अनकन्ट्रोवरटेड शपथपत्र को नजरअंदाज कर जो आदेश पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान जिला कलेक्टर, सिरोही का आदेश दिनांक 09–03–2004 व विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 04–11–2006 को निरस्त किया जावें। 7– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट्स के तर्को का विरोध करते हुए कथन किये कि विद्वान जिला कलेक्टर ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सही स्वीकार किया है जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपीलांट की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से सही खारिज की है। विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 04–11–2006 सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें। 8– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया गया। 9– विद्वान जिला कलेक्टर, सिरोही ने अपने निर्णय दिनांक 9–3–2004	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/8782/2006/सिरोही** **डूंगरसिंह बनाम चम्पतलाल** **अपील/एल0आर0/3496/2007/सिरोही** **नगर पालिका बनाम डूंगरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है।

10– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय दिनांक 04–11–2006 से अपीलांट की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश बहाल रखा गया है।

11– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि जिला कलेक्टर, सिरोही ने दिनांक 24–06–1995 को आदेश जारी कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मौका पिण्डवाड़ा के खसरा नं0 660 एवं 662 रकबा क्रमशः 81 बीघा 10 बिस्वा एवं 213 बीघा 10 बिस्वा कुल 295 बीघा किस्म मगरी को ग्राम पिण्डवाड़ा के गोचर हेतु सुरक्षित घोषित की जाती है।

श्री डूंगरसिंह वर्तमान प्रत्यर्थी ने न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरोही में दिनांक 07–07–2003 को आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 92 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 तथा धारा 5 (28) व नियम 3 सरकारी नियम 3 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 को पेश कर निवेदन किया कि खसरा नं0 660 मौका पिण्डवाड़ा रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा मुमकीन मगरी हाल गोचर हेतु आरक्षित में से 4 बीघा भूमि अलग किये जाने का आदेश प्रदत्त किया जाए अथवा पूर्व में जारी आदेश को संशोधित किया जाए। जिसमें 81 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर 77 बीघा 10 बिस्वा अंकित हो सके।

जिला कलेक्टर, सिरोही ने अपने निर्णय दिनांक 09–03–2004 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा सं0 660 की 4 बीघा भूमि गोचर सुरक्षित से कम करने का आदेश पारित कर दिया।

जिसके विरूद्ध नगरपालिका मण्डल पिण्डवाड़ा द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली में अपील पेश होने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04–11–2006 के द्वारा अपील खारिज कर दी।

जिसके विरूद्ध मण्डल में दो अपील पेश की गई। अपील के आधारों के संबंध में धारा 92 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 5 (28) सरकारी नियम 7 चारागाह भूमि का आवंटन या उसे अलग रखना– के प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

धारा 92 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में प्रावधान है कि–

विशेष प्रयोजन के लिए भूमियां अलग रखी जा सकती – (1) राज्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/8782/2006/सिरोही** **डूंगरसिंह बनाम चम्पतलाल** **अपील/एल0आर0/3496/2007/सिरोही** **नगर पालिका बनाम डूंगरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सरकार के साधारण आदेशों के अध्यधीन, कलेक्टर, किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए, यथा पशुओं के मुफ्त चारागाह के लिए, वन आरक्षण के लिए, आबादी के विकास के लिए किसी भी, अन्य लोक या नगरपालिका के प्रयोजन के लिए, भूमि अलग रख सकेगा और ऐसी भूमि, कलेक्टर की पूर्व मन्जूरी के बिना, ऐसे प्रयोजन से अन्यथा किसी उपयोग में नहीं लाई जायेगी।

धारा 5 (28) चारागाह भूमि नियम 7 चारागाह भूमि का आवंटन या अलग रखना–

(1) कलेक्टर, पंचायत के परामर्श से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (28) में यथा परिभाषित चारागाह भूमि को या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 15) की धारा 92 के अधीन अलग रखी गई किसी चारागाह भूमि का वर्गीकरण, कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु बिना अधिभोग की कृष्य सरकारी भूमि (सवाईचक) के रूप में किसी गैर कृषि प्रयोजन हेतु परिवर्तित कर सकेगा।

परन्तु उस स्थिति में जहां ऐसी आवंटित की जाने वाली या अलग रखी जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 4 है0 से अधिक हो तो कलेक्टर, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

परन्तु यह भी कि इन नियमों अन्यथा कूछ होने के सिवाय, चारागाह के लिये निर्धारित भूमि की किस्म को अनअधिग्रहित काश्त की भूमि (सिवायचक) में नहीं बदला जा सकेगा। केवल खनन हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित करने पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से इसे खनन के उपयोग में लिया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा जितनी भूमि खनन के उपयोग में ली जाये उसके समान क्षेत्रफल की खातेदारी भूमि जो उसी गांव से अथवा पास के गांव में हो किन्तु उसी पंचायत में हो, का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में करने पर तथा चारागाह विकास हेतु राशि जमा कराने पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा सकेगी। वर्ष 2017–18 के लिये चारागाह विकास शुल्क 50,000 रूपये प्रति बीघा अथवा उसक भाग के लिये देय होगा। इसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष हेतु पांच प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जायेगा। जमा कराया गया विकास शुल्क जिला कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति से पशु कल्याण हेतु संबंधित पंचायत द्वारा व्यय किया जा सकेगा। अन्य अधिग्रहित खेती योग्य सरकारी भूमि (सिवायचक) सभी प्रकार उपयोग हेतु हमेशा सरकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/8782/2006/सिरोही** **डूंगरसिंह बनाम चम्पतलाल** **अपील/एल0आर0/3496/2007/सिरोही** **नगर पालिका बनाम डूंगरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भूमि समझी जावेगी।

परन्तु यह भी कि ऐसी भूमि जो जयपुर परिक्षेत्र, जैसा जयपुर विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 1982 (25 ऑफ 1982) में परिभाषित है, की परिसीमा में या नगरपालिका की 2 किमी. की परिधि के भीतर पड़ने वाली किसी भूमि को लोक उपयोगी संस्थान के प्रयोजन हेतु या आबादी के विस्तार हेतु के सिवाय, आवंटित नहीं की जायेगी।

(2) जब उपनियम (1) के अधीन किसी चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तित कर दिया जाये तो कलेक्टर, बिना अधिभोग की कृष्य सरकारी भूमि के बराबर क्षेत्रफल को, यदि उपलब्ध हो, [उसी पंयायत में पास के ग्राम] में चारागाह भूमि के रूप में अलग रखा जा सकेगा।

प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर पंचायत के परामर्श से भूमि परिवर्तित कर सकेगा। नगरपालिका की दो किमी. की परिधि के भीतर पड़ने वाली किसी भूमि को लोक उप समिति संस्थान के प्रयोजन हेतु या आबादी के विस्तार हेतु के सिवाय, आवंटित नहीं की जा सकेगी। प्रस्तुत प्रकरण में तो जिला कलेक्टर ने निजी पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित है कि प्रार्थी का अतिक्रमण होकर काश्त कर रहा है जबकि नियम में स्पष्ट प्रावधान है कि नगरपालिका की दो किमी. की परिधि के भीतर भूमि लोक उपयोग संस्थान या विस्तार के प्रयोजन के बिना परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। अतिक्रमी की काश्त के लिए भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्वान जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा 4 बीघा भूमि गोचर से कम करने का निर्णय दिनांक 09-03-2004 विधि के प्रावधानों के विपरीत होकर काबिले खारिजी है।

12- विद्वान अपीलीय न्यायालय ने नगरपालिका मण्डल पिण्डवाड़ा द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रार्थी को शहर के विकास एवं सफाई व्यवस्था व प्रशासनिक कार्यो एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यकर्मो को एवं कार्यो को सम्पादित करना आम नागरिकगण के हितों हेतु कार्यों में व्यस्त रहने के कारण समय पर अपील पेश नहीं करने का माकूल कारण रहा है। इसलिए अपील पेश करने में हुई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/8782/2006/सिरोही** **डूंगरसिंह बनाम चम्पतलाल** **अपील/एल0आर0/3496/2007/सिरोही** **नगर पालिका बनाम डूंगरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

देरी को डिले कन्डोन करना न्यायहित में है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपील को अवधि बाधित होना माना जबकि प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपील को मैरिट पर चलने योग्य नहीं माना जबकि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों तथा सरकारी नियम के प्रावधानों पर गुणावगुण पर विचार ही नहीं किया जिससे विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 04–11–2006 भी विधिसम्मत् नहीं होकर काबिले खारिजी है।

13– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील सं0 2007/3496 नगरपालिका मण्डल पिण्डवाड़ा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–11–2006 तथा जिला कलेक्टर, सिरोही का निर्णय दिनांक 09–03–2004 खारिज किये जाते है तथा जिला कलेक्टर, सिरोही का आदेश दिनांक 24–06–1995 यथावत् रखा जाता है। अपील सं0 2006/8782 डूंगरसिंह अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। हस्ताक्षरित निर्णय की प्रति पृथक–पृथक पत्रावली में संलग्न की जावें।

14– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य